केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 06 गुरूवार 25 जुलाई 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

विष्णुदत्त ओझा की स्मृति में रक्तदान शिविर 25 को

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं मण्डलीय गौरक्षा समिति के संस्थापक योगी आदित्यनाथ के अनन्य सहयोगी एवं हिन्दू युवा वाहिनी उ.प्र. के स्थापन प्रदेश संयोजक स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा के 13 वीं पुण्य तिथि पर 25 जुलाई गुरूवार को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुस्तकालय टाउन क्लब गांधीनगर के परिसर में दिन में 11 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।

यह जानकारी देते हुये विष्णुदत्त ओझा रक्तदान एवं जन सेवा समिति के संयोजक एवं स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा के अनुज नन्दीश्वर दत्त ओझा ने बताया कि एक सौ से अधिक युवाओं द्वारा विष्णुदत्त ओझा की स्मृति में युवा रक्तदान कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया जायेगा।

दिव्यांगों में उपकरण वितरण 29 को

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । समेकित क्षेत्रिय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र गोरखपुर द्वारा दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल व अन्य सहायक उपकरण वितरित किये जाने हेतु चिन्हॉकन/आकलन शिविर का आयोजन आगामी 29 जुलाई को जनपद बस्ती के विकास खण्ड कुदरहा में किया जायेंगा। उक्त जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने खण्ड विकास अधिकारी कुदरहा को निर्देशित किया है कि उक्त तिथि को आयोजित शिविर में अपने अधीनस्थ कार्मिको, ग्राम सचिवों व प्रधानों के माध्यम से संबंधित इच्छुक दिव्यांगजनों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

उन्होने बताया कि पुनर्वास अधिकारी सी.आर.सी.–ग गोरखपुर राजेश कुमार यादव, दूरभाष नं.–8400139770 द्वारा मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, हाथ से चलाने वाली ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैशाखी, छड़ी तथा अन्य सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने हेतु चिन्हांकन/ आकलन शिविर का आयोजन उक्त तिथि को पूर्वान्ह 10 से सायं 5 बजे तक विकास खण्ड कुदरहा मुख्यालय पर किया जायेंगा।

मत्स्य पालन के लिये पट्टा कार्य जोरों पर

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । शासन की मंशा के अनुरूप दसवर्षीय पट्टा कराते हुए मत्स्य पालन एवं अंगुलिका–वितरण का कार्य जोरों पर है। उक्त जानकारी देते हुए उप निदेशक मत्स्य जी.सी. यादव ने बताया कि किसानों के तालाबों पर सस्ते दर पर मत्स्य अंगुलिकाए संवर्धन के लिए वितरित करना प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होने मत्स्य पालको से अपील किया है कि कार्यालय में सम्पर्क कर अपने तालाबों में मत्स्य अंगुलिकाए अधिक संख्या में संचित करा लें। उन्होने वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत जनपद के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मत्स्य पालको से अपेक्षा किया है कि तालाबों के बंधों पर मुलायम व छायादार वृक्ष लगाना सुनिश्चित करें।

खर पतवार से घट जाता है उत्पादन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—बस्ती । जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने बताया कि पैदावार में कमी के साथ–साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों जीवाणुओं/कीट व्याधियों को भी आश्रय देते है। उन्होने बताया कि धान का रोपाई/बुआई की 15–25 दिन के अन्दर प्रयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशी विस्पायरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस.सी. कृषि रक्षा इकाई पर 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध है, जिसका लाभ किसान भाई उठा सकते है।

संसद में किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी

नई दिल्ली (आभा)। बुधवार को संसद के बाहर जमकर शोर–शराबा देखा गया। दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान नेताओं को संसद में अपने कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया था। मगर बवाल तब हो गया, जब किसानों को संसद के अंदर नहीं आने दिया। हालांकि, हंगामे और विरोध के बाद किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की।

मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हमने उन्हें (किसान नेताओं को) यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'यह समस्या है। मगर हमें क्या करना चाहिए? यह एक तकनीकी मुद्दा भी हो सकता है।' हालांकि, कुछ देर बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी के सामने प्राइवेट मेंबर्स बिल (निजी सदस्य विधेयक) लाने की बात रखी है।

किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के तत्वावधान में देशभर से आए 12 किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद रहे।

किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, श्हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम विपक्षी गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए।

22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर–राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वे देशभर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतिहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा विपक्ष द्वारा निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए मार्च भी निकालेंगे।

घर में मिले 26 अजगर के बच्चे

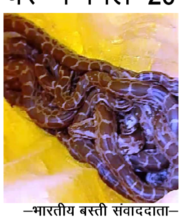

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बनकटी (बस्ती)। विकासखंड बनकटी के ठकुरापार गांव में एक साथ 26 अजगर के बच्चे मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई।

जानकारी के मुताबिक जयप्रकाश अग्रहरी के बंद मकान में अजगर मादा 26 बच्चो को जन्म दी थी जो की कई दिनों से गांव वाले एक दो अजगर के बच्चों को देखते थे। बुधवार के सुबह अजगर के बच्चे घर के बाहर रेंग रहे थे कि अचानक पड़ोसी बाबू यादव की नजर पढ़ी तो वह डर गया और शोर मचाने लगा, शोर सुन कर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मकान मालिक जय प्रकाश को फोन करके पड़ोसी बाबू यादव ने जानकारी दिया। कि आपके घर से सर्प निकल रहे है। जानकारी मिलने पर जय प्रकाश अपने बंद मकान पर पहुंचे और सटर उठाया तो देखा ढेर सारे अजगर के बच्चे हैं।

जयप्रकाश और गांव वालों के सूचना पर वन विभाग की टीम आई। और अजगर के 26 बच्चो को यह कह कर अपने साथ ले गईं की इनको जंगल मे छोड़ दिया जायेगा।

पेड़ वाले बाबा ने रामकृष्ण मठ में रोपे पौधे, दिया पर्यावरण रक्षा का संदेश

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। अपनों में पेड़ वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय गौहर अली के संयोजन में बुधवार को बेलाडी– पिपरा गौतम मार्ग पर स्थित रामकृष्ण मठ में फलदार, औषधीय और छायादार पौधे रोपे गये। मठ के पुजारी महाराज राम प्रताप ने बड़े उल्लास से गौहर अली को स्थान बताया और निर्धारित स्थानों पर मानक के अनुरूप बकईन, नीम, कचनार, सहजन, पपीता, अमरूद, आम, हर सिंगार, वाटल ब्रास, आंवला, बालमखीरा, हरा सेमर, जामुन, इमली, अमार, महुआ, पीपल, बरगद, कदम्ब, शमी आदि के लगभग 100 पौधे रोपित कराये।

मठ के पुजारी महाराज राम प्रताप ने पेड़ वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय गौहर अली और उनके सहयोगी अखिलेश राज के प्रयास को सराहा। कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिये पौध लगाना अति आवश्यक है। उन्होने भरोसा दिलाया कि रामकृष्ण मठ में जो पौधे रोपे गये हैं उनकी पूरी सेवा करायी जायेगी। जब ये पौधे बड़े हो जायेंगे तो फल के साथ ही छाया भी देंगे।

व्यापारी को कोतवाली के निकट छोड़ फरार हो गये अपहर्ता

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। देवरिया जिले के तरकुलहा थानाक्षेत्र कंचनपुर गांव से एक बेसन कारोबारी के अपहरण किए जाने की घटना से देवरिया से लेकर बस्ती तक हड़कंप मच गया। मंगलवार को देर शाम अपहृत कारोबारी अचानक कोतवाली बस्ती पहुंच कर पुलिस से अपने अपहरण की बात बताई। वहीं, दूसरी ओर व्यापारी का पिता भी देर रात को देवरिया पुलिस के साथ बस्ती पहुंचा। देर रात तरकुलवा पुलिस उसे लेकर चली गई।

जानकारी के मुताबिक देवरिया सदर कोतवाली के रामगुलाम मोहल्ला निवासी विकास यादव अपनी बाइक से बेसन की सप्लाई करने निकला था। इसी बीच तरकुलहा थानाक्षेत्र के कंचनपुर में एक ओमनी वैन सवारों बदमाशों ने विकास का अपहरण कर लिया। विकास के अनुसार बीच रास्ते में अपहरणकर्ताओं की नजर बचाकर उसने अपनी मोबाइल से पिता को कॉल करके अपहरण की सूचना दी। विकास के पिता अजय यादव ने घटना की सूचना तत्काल तरकुलहा पुलिस को दी। तरकुलवा पुलिस ने सर्विलांस पर उसके मोबाइल को लगाकर जब उसके लोकेशन को ट्रैस किया तो विकास का लोकेशन पहले मोहद्दीपुर (गोरखपुर) का मिला। इसके बाद उसका लोकेशन बस्ती फोरलेन पर बताने लगा।

विकास ने बताया कि इसी दौरान बदमाशों को पकड़े जाने की आशंका हुई तो उन्होंने विकास को बस्ती कोतवाली क्षेत्र में नीचे धकेल कर भाग गए। विकास किसी तरह कोतवाली पहुंचा और उसने पुलिस से अपनी आपबीती बताई। सूत्रों के मुताबिक विकास ने पूछताझ के दौरान बताया कि वैन में देवरिया के तीन युवक थे, जिन्हें वह जानता है। इस बाबत शहर कोतवाल विजय कुमार दुबे ने बताया कि फिलहाल पूरा मामला देवरिया जिले से ही जुड़ा है। तरकुलवा पुलिस और विकास के पिता आए थे, विकास को लेकर देवरिया चले गए।

ग्राम प्रधान अब्दुल रउफ समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह तथा महिला कांग्रेस पूर्वी जोन की अध्यक्ष सहला अरहरि की मौजूदगी में परसा तकिया के ग्राम प्रधान अब्दुल रउफ की अगुवाई में नरेश, अफसर, रफीक, राशिद मनोज आदि ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह, शैलेष सिंह, अखिलेश सिंह, गौरव सिंह, डा. तसलीम खान, राना दीपू सिंह ने भी पार्टी मे शामिल हुये।

विश्वविजय सिंह ने सभी को फटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। उन्होने कहा पार्टी की नीतियों, नेतृत्व के फैसलों और लोकसभा चुनाव नतीजो से प्रभावित होकर लोग तेजी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होने सभी का आवाह्न करते हुये कहा कि हमे एकजुट होकर नफरती विचारधारा और संविधान विरोधी ताकतों से लड़ना है। जितनी बड़ी जंग उतनी बड़ी तैयारी होनी चाहिये। नये सदस्यों के पार्टी में शामिल होने पर जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, पूर्व विधायक अंबिका सिंह, अनूप पाण्डेय, रामजियावन, देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय, अनिरूद्ध त्रिपाठी, सुरेन्द्र मिश्रा, विश्वनाथ चौधरी, अशोक श्रीवास्तव, अनिल कुमार भारती, राजबहादुर निषाद, गंगा प्रसाद मिश्रा, शौकत अली नन्हू, अलीम अख्तर, सुनील पाण्डेय, शकुन्तला देवी, यशराज के. के., दिलीप श्रीवास्तव, डीएन शास्त्री, लक्ष्मी यादव सहित तमाम लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।

नेपाल विमान हादसे में18 की मौत

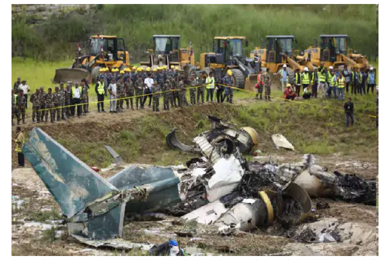

काठमाण्डू (आभा)। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया । प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम. शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था।

प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह क्रैश हो गया। प्लेन सौर्य एयरलाइन्स का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से तीन एक ही परिवार के हैं। इनमें मुन राज शर्मा उनकी पत्नी प्रीजा खाटिवाडा और उनका चार साल का बेटा आदि राज शर्मा शामिल है।

दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची।

एसडीएम और तहसीलदार को तहसील में ही करना होगा निवास

लखनऊ (आभा)। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की योगी सरकार लगातार आम लोगों की समस्याओं और अधिकारियों पर नकेल कसने का काम रही है। इसी के तहत तहसीलदारों और एसडीएम को तहसील में ही निवास करने का आदेश सीएम योगी ने दिया है। तहसीलदार और एसडीएम तहसील में ही रहते हैं या नहीं इसकी जांच का निर्देश जिलाधिकारी और कमिश्नर को दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया गया है।

सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को जारी आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि जन–समस्याओं का समय पर निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेश की प्रतिबद्धता के लिए तहसील स्तरीय प्रशासन पूर्ण सजगता और तत्परता से कार्य करें। तहसील प्रशासन पर तहसीलदार और उप जिलाधिकारी का निर्देशन व पर्यवेक्षण रहता है। इस निर्देशन व पर्यवेक्षण को सशक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि तहसीलदार और उप जिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं निवास करें। तहसील राजस्व प्रशासन के अन्तर्गत सौंपे गए जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करें। इसके साथ ही कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना जिले के जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त का दायित्व है।

इसके साथ ही कहा गया है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि तहसीलदार और उप जिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं वहीं निवास करें।

इसके साथ ही इस बाबत आकस्मिक निरीक्षण और जांच भी की जाएगी। सम्बन्धित तहसीलदार और उप जिलाधिकारी यदि तहसील में निवास करते नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सम्बन्धित जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

वन क्षेत्राधिकारी ने स्कूली बच्चों के साथ किया पौधरोपण

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। वन क्षेत्राधिकारी हरैया शारदानन्द तिवारी ने बुधवार को हरैया स्थित गजाधर सिंह अंगद सिंह एकेडमी के प्रधानाचार्य सुभाष चन्द्र त्रिपाठी और स्कूल के बच्चों के साथ विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। वन क्षेत्राधिकारी ने बच्चों को पौधारोपण के उचित तरीके बताते हुए सभी के साथ बड़ी संख्या में फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाए। वृक्षों को संरक्षित कर उनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का संदेश वन क्षेत्राधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा कि वृक्ष जहां पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ–साथ लकड़ी एवं फल द्वारा आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद करते हैं वहीं जलवायु को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका रखते हैं। उन्होंने बच्चों को वृक्षों तथा वन जीवन के पर्यावरण में योगदान के बारे में बताया तथा ज्वलंत मुद्दों जैसे ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन तथा ग्रीनहाउस इफेक्ट के तकनीकी पहलुओं पर भी बच्चों के साथ चर्चा किया।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, पंकज सिंह, सुधीर पाठक, राम नरेश शर्मा, दिनेश पाण्डेय, दिनेश मिश्र, संतोष श्रीवास्तव, राकेश यादव, अमरनाथ केसरवानी, प्रवेश शुक्ल, पवन मिश्र सहित विद्यालय के स्टाफ और बच्चे उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक संजय प्रताप ने किया मनरेगा के भुगतान का अधिकार ग्राम प्रधानों को देने की मांग

-पत्र पर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मुख्य सचिव ग्राम्य विकास को दिया निर्देश

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि मनरेगा परियोजनाओं के भुगतान का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के पास सुरक्षित किया जाय। पूर्व विधायक के पत्र को गंभीरता से लेते हुये प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिया है कि परीक्षणोपरान्त समुचित कार्यवाही की जाय।

भेजे पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा है कि सरकार की श्रमिको के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत के श्रमिको को गांब में ही 100 दिन का रोजगार मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, उक्त परियोजना के भुगतान में बीडीओ का हस्तक्षेप सरकार की जीरो टारलेन्स की नीति को प्रभावित कर रहा है। उन्होने पत्र में कहा है कि मनरेगा भुगतान व फाइल स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित विकास खण्ड के बीडीओ के पास होने से प्रधान व सचिव पर दबाव डालकर मनरेगा परियोजनाओं पर कार्यालय क्षेत्र पंचायत द्वारा कमीशनखोरी व परियोजनाओं के अपूर्ण तथा गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला अक्सर चर्चा में रहता है। सीआईबी बोर्ड साइट पर उपलब्ध न होने के बावजूद क्षेत्र पंचायत द्वारा कमीशन लेकर परियोजनाओं का भुगतान हो जाता है। मानक विहीन एवं गुणवत्ता विहीन कार्यों की बिना जांच कराये ही मनमाना भुगतान कर दिया जाता है। मनरेगा अधिनियम में 264 परियोजनाएं है, जबकि ग्राम पंचायत कुछ ही परियोजना पर कार्य कर रही है। . बीडीओ के करीबी ग्राम प्रधानों द्वारा 60.40 के अनुपात का अनुपालन दर किरान करके मनमाने तरीके से कार्य कराकर भुगतान करा लेते है। मनरेगा का भुगतान जब से बीडीओ के अधिकार में आया तब से ग्राम पंचायत के कार्य का अनुपात घट गया है। जिसका कारण कमीशनखोरी तथा कार्य की गड़बड़ी होने पर ग्राम प्रधानों से रिकवरी का है। जिन विकास खण्डो में 6 करोड़ से ऊपर का कार्य होता था वहां अब केवल 40 से 50 लाख तक का कार्य ही कराया जा रहा है।

पत्र में पूर्व विधायक ने कहा है कि ग्राम पंचायत में पुलिया निर्माण की भी स्वीकृति बीडीओ के हाथ है, फाइल स्वीकृत, बाउचर फीड, मस्टररोल, पेमेन्ट लगवाने आदि हर स्तर पर क्षेत्र पंचायत के एनआरईपी बाबू तथा बीडीओ को तय कमीशन देना पड़ता है, जिससे एक तरफ जहां ग्राम प्रधानों का शोषण हो रहा है तो वही ग्राम पंचायत का विकास कार्य भी बाधित होता है। जिसका निराकरण किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। उन्होने मांग किया कि जिस प्रकार से मनरेगा के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्य भुगतान को डोंगल के माध्यम से सहखातेदार के साथ ग्राम प्रधान सफलता पूर्वक कर रहे है, उसी प्रकार से मनरेगा के भुगतान का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायतो के ग्राम प्रधानों को सुरक्षित किया जाय। जिससे सरकार की जीरो टारलेन्स की नीति सफल हो तथा ग्राम पंचायतों का व्यापक विकास हो सके।

कावड़ यात्रा के लिये तैयारियां पूरी कर लें अधिकारी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन पोर्टल का अवलोकन करें और शिकायत का निस्तारण समयान्तर्गत किया जाए।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करते हुए उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि कावड़ यात्रा के दृष्टिगत सभी आवश्यक कार्य समय से पूर्ण कर लिये जाए। हाईवे पर झाड़ियों की कटाई–छटाई करा दी जाए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होने निर्देशित किया कि स्थागत प्रसव का अपडेट मंत्रा पोर्टल पर ससमय फीड़िग कराया जाए। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थी को जो भुगतान किया जाता है, उसे समय से करा दिया जाए। आशा योजना के अन्तर्गत जो भी भुगतान लम्बित है उसका भुगतान नियमानुसार तत्काल कराया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी एमओआईसी को निर्देशित किया कि योजनान्तर्गत अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल चौहान, सीआरओ संजीव ओझा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रमाशंकर दुबे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, उप जिलाधिकारी शत्रुध्न पाठक, आशुतोष तिवारी, विनोद पाण्डेय, डीडीओ अजय सिंह, पीडी राजेश झा, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी केशवलाल, ईडीएम सौरभ द्विवेदी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 25 जुलाई 2024 गुरूवार

सम्पादकीय

प्रतिबंध मुक्त संघ

केंद्र की राजग सरकार ने एक आदेश के जरिये सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा लिया है। जिसको लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि तत्कालीन सरकार ने निराधार ही शासकीय कर्मियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगायी थी। यह भी कि वर्तमान सरकार का निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। वहीं राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद संघ व सरकार के बीच मनमुटाव की जो खबरें आ रही थीं, हालिया फैसले को सरकार की संघ से उसी तल्खी को दूर करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। जिससे जनमानस में यह संदेश दिया जा सके कि भाजपा व संघ में किसी प्रकार का मनभेद व मतभेद नहीं है। वहीं संघ दावा करता है कि इस कदम से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। दरअसल, हाल के दिनों में संघ की तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे, उससे लग रहा था कि भाजपा व संघ के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने तो कहा था कि भगवान राम ने एक अहंकारी पार्टी को रोका है, जो रामभक्त होने का दावा करती है। यहां तक कि संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में लिखा गया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अति उत्साह के चलते पार्टी के जनाधार में गिरावट आई है। साथ ही संघ प्रमुख ने बिना नाम लिये पार्टी नेतृत्व के सुपरमैन व भगवान समझने की महत्वाकांक्षा का जिक्र किया था। इन बयानों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि संघ का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मोहभंग हो गया है। ऐसे में जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अगले साल शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, भाजपा का यह कदम दोनों के बीच रिश्ते सामान्य करने की दिशा में उठाया गया कदम कहा जा रहा है।

बहरहाल, केंद्र के इस फैसले के बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी ने 58 साल पहले वर्ष 1966 में आरएसएस पर लगाये गए प्रतिबंध ा को हटाने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि जनसंघ, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार की पिछली एक दशक की सरकार के दौरान भी यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। दरअसल, 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने गोहत्या के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। आरएसएस व जनसंघ के प्रयासों से लाखों लोग जुटे थे और पुलिस के साथ टकराव में कई लोगों की जान गई थी। जिसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख का कहना है कि संघ पिछले 99 साल से राष्ट्र के सतत निर्माण व समाज सेवा में संलग्न रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने हेतु निराध ार प्रतिबंधित किया था। हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह प्रतिबंध वैध ा बना हुआ था। इसी मामले को लेकर इंदौर की एक अदालत में वाद चल रहा था, जिसमें अदालत ने इस बाबत केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। फिर केंद्र ने एक आदेश जारी कर प्रतिबंध को खत्म करने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि प्रतिबंध हटाने का केंद्र का फैसला राष्ट्रहित से परे राजनीति से प्रेरित संघ के तुष्टीकरण का फैसला है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों का भी मानना है कि सरकारी कर्मचारियों का संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित और जनकल्याण के लिए काम करना जरूरी होता है। कहा जा रहा है कि सरकार का फैसला धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि इससे कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित होती है।

शिक्षा से ही टूटेगा बाबाओं का तिलिस्म

–गुरबचन जगत–

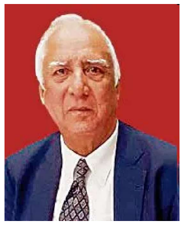

वर्ष 1971 में मैंने पुलिस सेवा ज्वाइन ही की थी जब बतौर एसएसपी कपूरथला मेरी नियुक्ति हुई। सप्ताह के आखिर में अपने गांव आया, सोचा था सुबह देर से उठूंगा और दिनभर आराम करूंगा। लेकिन मुझे सूर्य उदय से पहले उठना पड़ा जब परिवार के पुराने नौकर ने सूचित किया कि पड़ोस के गांव से जीतू जट्ट नाम का व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है। मुझे याद आया कि जीतू तो वही है जो एक छोटा–मोटा भविष्यवक्ता है और अपने तीर–तुक्कों से लोगों के खोए पशु पाने में मदद किया करता है। लेकिन उस वक्त वह खुद पूरी तरह शर्मिंदा था जब बताया कि उसकी हवेली से उसके अपने बैल चोरी हो गए हैं! मैंने उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को कहा, पर उसने झिझकते हुए कहा कि यह करना उसके धंधे के लिए बुरा सिद्ध होगा क्योंकि लोग कहेंगे खुद पर पड़ी तो पुलिस की मदद लेने चला गया। खैर, उसके पशु मिल गए और उसकी 'साख' सलामत रही। आमतौर पर माना जाता है कि इस किस्म की गतिविधियां गरीब और अनपढ़ों तक सीमित होती हैं– तो यहां मुझे आपकी गलतफहमी दूर करने दें। यह बात मैं पुलिस सेवा में बहुत साल बिताने और काफी अनुभव पाने के आधार पर कह रहा हूं। यह कहानी है हमारे पूरे देश की और कैसे बहुत से भविष्य बताने वाले, शामन, बाबा और छोटे–मोटे शातिर इतने बड़े हो गए कि सत्ता का तानाबाना तक उनके हाथ में आ गया।

इस सदी के शुरू में मैं दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बल के मुखिया के तौर पर नियुक्त था। कुछ दिनों बाद एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी मुझे मिलने आए और एक तरह से मुझे आदेश दिया कि मैं उनके साथ जाने–माने बाबा के यहां चलूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं उस 'भले मानुस' को 'अच्छी तरह' जानता हूं लिहाजा उसके पास नहीं जाऊंगा। मैंने उसका सफर तहसील स्तर से जिला स्तरीय और फिर राजधानी में राज्यस्तरीय होते देखा था, जहां उसकी छवि एक छोटे–मोटे कथित ज्योतिषी की थी, जो भोले–भाले लोगों को अपनी बातों से झूठी तसल्ली परोसता हो (अधिकांश स्थानीय लोग उसकी असलियत से वाकिफ थे और उसका ठेठ पंजाबी में एक हास्यपूर्ण सा उपनाम भी प्रचलित था)। फिर वह दिल्ली चला आया जो कि उसका मास्टर स्ट्रोक सिद्ध हुआ क्योंकि यहां आकर उसने नए रंग–ढंग के दबंग और चमत्कारी बाबा वाले अवतार में खूब चांदी काटी। मेरे पूर्व वरिष्ठ अधिकारी मेरे इंकार से कुछ मायूस हुए, फिर भी उन्होंने मुझे यह कहकर मनाने की कोशिश की कि खुद उसने मुझे साथ लाने को कहा है। परंतु मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। किंतु इससे पहले मैं जल्दी से आपको इन बाबाओं के सत्संग के अपने निजी अनुभव बताना चाहूंगा (हमारी एजेंसियां इन सबकी खबरें लगातार देती रहती थीं)। ऐसे एक बाबा के यहां वीआईपी लोगों का तांता लगा रहता जिसमें भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी और उनकी पत्नियों, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अन्य उच्च पदेन लोग हाजिरी भरते। वे वहां क्या करते रहते थे? कुछ महिलाएं जो वैसे तो अपनी हैसियत की वजह से नकचढ़ी रहती थीं, लेकिन डेरे में बाबा के पैर दबाती, कुछ तो उसके सिर पर चम्पी इत्यादि किया करती थीं। जो वहां देखा वो ऐसा कि उस पर यकीन करने को आंखें मलनी और खुद को चिकोटी काटनी पड़े।

यह तथाकथित दैवीय पुरुष राष्ट्रीय स्तर की नीतियों, आर्थिक और राजनीतिक– तक को प्रभावित करने का दम रखते हैं। कुछेक ऐसे दैवीय पुरुष भी थे जो दिल्ली के मालिकों से कहीं ऊंचे दायरों में विचरा करते और हीरे की अंगूठियों से अटी उनकी अंगुलियां बहुत से चमत्कार दिखातीं३ कुछ नाम लेकर बताऊं, तो दिमाग में धीरेंद्र ब्रह्मचारी, महेश योगी और चंद्रास्वामी कौंध रहे हैं।

चलिए फिर से वर्तमान में लौटते हैं, परिदृश्य में जिधर देखो कोई न कोई डेरा और भांति–भांति के रंगों और स्वरूप वाले बाबा नजर आते हैं। कुछ गांव के स्तर के साधारण बाबा हैं, कुछ शहर स्तर के और कुछ राज्यस्तरीय, कुछ आंचलिक स्तर के तो कुछ राष्ट्रीय स्तर वाले। इनमें अधिकांश की शख्सियत में कुछ अंश चमत्कारी पुरुष का, कुछ राजनेता वाला, कुछ व्यापारी, कुछ अकूत जमीन जायदाद का स्वामी और इन सबसे ऊपर है, बातों से प्रभावित करने की कला। गरीब लोग उनके पास अपनी रोजमर्रा की छोटी–मोटी समस्याओं का चमत्कारी निवारण पाने की चाह लिए जाते हैं, अमीर और अमीर होने को, राजनेता वोट हासिल करने और इसके बूते सत्ता हथियाने की गर्ज से। मेरा यकीन कीजिए, जितना बड़ा डेरा होगा उतना बड़ा उसका वोट बैंक होगा और उतनी ही बड़ी संख्या होगी चुनाव के वक्त दंडवत करने वाले नेताओं की। कृपया यह न सोंचे कि मैं यह सब बढ़ा–चढ़ाकर लिख रहा हूं। राज्य सरकार का खुफिया विभाग इन डेरों का आकलन करता है, उनके भक्तों की संख्या और वित्तीय संपत्ति का अनुमान लगाता है। यह सूचना उन्हें डोरे डालने अथवा ब्लैकमेल करने के काम आती है। उनको मुहैया सुरक्षा के ब्योरे के मुताबिक बाबा की हैसियत ऊंची या कम आंकी जाती है। अब तो वे एक कदम आगे जाकर खुद चुनाव लड़ने लगे हैंदृक्या राजनेता इसे अपने लिए खतरे की घंटी मानेंगे? क्या आपको वह 'डिस्को बाबा' याद आया और कैसा तांडव उसने हरियाणा में मचाया था? जब जी करता है कभी जेल में तो कभी पैरोल पर अपने आश्रम में होता है। बहुत से बाबा बलात्कार और हत्या के अभियोग में जेल काट रहे हैं, लेकिन कारागर भी उनके लिए आश्रम ही है।

कहीं पाठक यह न समझे बैठें यह सब केवल भारत में होता है, तो यहां मुझे बताने दीजिए कि विश्व इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां तथाकथित दैवीय पुरुष अपने स्वार्थ–सिद्धि के लिए लोगों के अंध ाविश्वास, डर और गरीबी का दोहन करते आए हैं। उनके कई नाम हो सकते हैं ३शामन से लेकर मंगोल तक, काले जादू में माहिर से लेकर रेड इंडियन तक, इंग्लैंड के ड्रयुइड और प्राचीन यूनान के नजूमी भी, लेकिन समाज में जो खराबी उन्होंने रोपी, वह इतिहास में एक समान है। रूस में जार पर रास्पुतिन नामक नजूमी की शैतानी छाया हावी रही। जब कोई रास्पुतिन या दैवीय पुरुष शीर्ष स्तर पर अपना प्रभाव बना ले तो बाकी देश में देखादेखी छोटे–मोटे प्रारूप कुकुरमुत्ते की भांति उग आते हैं। 20वीं सदी के शुरू में सिखों को अपने गुरुधाम महंतों के चंगुल से छुड़वाने के लिए एक पूरा आंदोलन चलाना पड़ा था। इन महंतों को ब्रिटिश सरकार की शह प्राप्त थी और उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारों के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्वरूप को बदलकर, अपनी निजी जागीर में तबदील कर डाला था। इस तरह का बड़ा खेल आज भी जारी हैदृ मायावी, कथित दैवीय पुरुष, राजनेता का गठजोड़ बनाम साधारण जनता। वैज्ञानिक सोच और सम स्वभाव रखने वालों की गिनती दयनीय रूप से अत्यंत कम हैं। इन बाबाओं की शैतानी यह कि अपने भक्तों को, विशेषकर गरीब आस्थावानों को, अज्ञानता और उम्मीद रूपी शिकंजे में फंसाए रखते हैं। हमारी अधिकांश समस्याओं, इस वाली समेत, का उपचार केवल शिक्षा है। शिक्षा दिमाग से सभी जाले हटा देती है और वैज्ञानिक सोच पैदा करती है। सबसे ऊपर, जिज्ञासा का तार्किक उत्तर पाने को यह हर चीज और हरेक प्रपंच पर सवाल करना सिखाती है, तभी तो बाबा चाहते हैं कि चेले उनके अंधभक्त बने रहें तो वहीं राजनेताओं की तरजीह है कि जनता अपने हकों से अंजान बनी रहे, ये दोनों जिज्ञासु सोच को बढ़ावा देना कतई नहीं चाहेंगे। निष्कर्ष में, मैं रबिन्द्रनाथ टैगोर के इस कथन और इसके कालजयी ज्ञान का आह्वान करना चाहूंगा 'जहां चित्त भयहीन है३ जहां ज्ञान मुक्त है३ आजादी के उस स्वर्ग में बैठे परमपिता३ मेरे देशवासियों को जागरूक बनाएं।'

–लेखक द ट्रिब्यून के ट्रस्टी हैं।

अगर यह सुशासन है तो जंगल राज क्या है ?

–निर्मल रानी–

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के जब डॉ.मोहन यादव ने यह कहना शुरू किया था कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा उस समय प्रदेशवासियों में यह उम्मीद जगी थी कि प्रदेश को मिला नया नेतृत्व शायद राज्य से भय,आतंक व अराजकता के वातावरण को दुरुस्त कर सकेगा । परन्तु राज्य के हालात कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक अभी भी न केवल जस के तस बने हुये हैं बल्कि अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली कुछ घटनाओं से तो ऐसा प्रतीत होने लगा है गोया सत्ता बदलने या मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था सम्बन्धी किसी चेतावनी का अपराधियों पर कोई असर ही नहीं। हद तो यह है कि प्रदेश में घटी अनेक बड़ी आपराधिक घटनाओं में सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों के शामिल होने के भी प्रमाण मिलते रहे हैं। तभी विपक्ष को भी पूछना पड़ रहा है कि प्रदेश में होने वाली हर बड़ी आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े लोग शामिल होते पाए गए हैं। तो क्या सरकार और पार्टी इस दिशा में कोई कदम उठाने वाली है? विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को जंगलराज के टैग से मुक्ति कब मिलेगी ? और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचार कब समाप्त होंगे ?

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इलाहबाद मार्ग पर स्थित मंगावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबंगों द्वारा अपनी दबंगई का वह प्रदर्शन किया गया जो शायद आजतक उस बिहार व उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में भी नहीं हुआ जहाँ लालू यादव व अखिलेश यादव के राज को 'जंगल राज ' कहकर यही सत्ताध ारी भाजपाई आज भी सम्बोधित किया करते हैं। रीवा जिले के हिनौता क्षेत्र में हुई इस घटना में गुंडों ने डंपर से बजरी फेंककर दो महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश की। इस घटना में ममता पांडे और आशा पांडे नाम की दो महिलाएं बजरी के ढेर में कमर और गर्दन तक दब गई थीं। जिन्हें स्थानीय लोगों ने फावड़े की सहायता से बजरी के ढेर में से बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई। इन महिलाओं को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यदि स्थानीय लोग मानवता का प्रदर्शन करते हुये उन महिलाओं को समय रहते बजरी के ढेर से बाहर न निकालते तो दोनों महिलाएं जिंदा ही दफ्न हो जातीं।

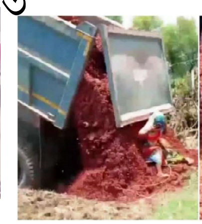

बताया जा रहा है कि इस गांव में एक सड़क निर्माण योजना को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। उन महिलाओं का दावा है कि चूँकि यह जमीन उन्हें सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थी इसीलिये वे उस जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध कर रही थीं। और जब उन्होंने सड़क निर्माण रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत मझौवाखुर्द वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 01–08–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10 11	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(विनोद राजभर) ग्राम प्रधान   **(शिवशंकर)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

रोजगार के मोर्चे और बजट

–डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी–

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट घोषणाओं में रोजगार सृजन पर खासा ध्यान देते हुए कई तरह की योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने युवाओं को रोजगार के लायक बनाने से लेकर उनके सामने रोजगार के अवसर मुहैया कराने तक, हर तरह की योजनाओं का ऐलान किया। इसके तहत कौशल विकास के साथ–साथ इंटर्नशिप और पहली बार नौकरी पाने वालों को एक महीने तक का वेतन सरकार की तरफ से दी जाने की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, जॉब में जाने वाली महिलाओं के आवास का भी ख्याल रखा गया है।

असल में, मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले आम बजट में रोजगार के लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। दरअसल, हाल ही के लोकसभा चुनावों में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन के मूल में रोजगार संकट बड़ी वजह बताया गया। तभी तीसरी पारी के बजट का मूलमंत्र रोजगार सृजन रहा। कहीं न कहीं युवा मतदाताओं को संतुष्ट करने हेतु बजट में नौकरियों व कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसी क्रम में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु योजना लाई गई। महत्वपूर्ण बात यह कि अगले पांच सालों में करीब एक करोड़ युवाओं के कौशल विकास हेतु शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके मुहैया कराने की घोषणा की गई।

वहीं दूसरी ओर औपचारिक क्षेत्र के कार्यबल का हिस्सा बनने पर युवाओं को एकमुश्त राशि का योगदान भविष्य निधि में किया जाएगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी में रोजगार को प्राथमिकता का पता इस बात से चलता है कि पांच योजनाओं के जरिये रोजगार व कौशल विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निस्संदेह, कौशल विकास को प्राथमिकता की योजना एक सार्थक कदम है, लेकिन यह सरकार की प्रतिबद्धता व उद्योगों के सहयोग पर निर्भर करेगा। नई नौकरियों की सृजन क्षमता रखने वाले सूक्ष्म,लघु और मध यम उद्यमों पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया।

यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में सक्षम होगा। कहीं न कहीं अपने मूल मध्यमवर्गीय वोट बैंक के दृ ष्टिगत वेतनभोगी कर्मियों को कर में राहत व सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में मानक आयकर कटौती की सीमा घटाकर संबल दिया गया। इस कदम से चार करोड़ कर्मियों व पेंशनभोगियों का फायदा होने की बात कही जा रही है। वहीं गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार व आंध्रप्रदेश के सत्तारूढ़ दलों की आकांक्षा के अनुरूप विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा अपरिहार्य थी।

वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग और पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए पांच साल की अवधि में दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का निर्धारण है।

बजट में स्टार्टअप में सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए 'एंजल कर' समाप्त करने की घोषणा हुई है। साथ ही मोबाइल फोन और सोने पर कस्टम ड्यूटी में कुछ कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, बिजलीघर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता में 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत सिसवा वरूआर वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 02–08–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 03–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मालती) ग्राम प्रधान **(अंकुर कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत केउवाजप्ती वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 31–07–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 01–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(उदीसुननिशा) ग्राम प्रधान **(रिंगभान चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

संपत्ति के लालच में पौत्री ने ही करवाई थी रिटायर्ड रेलकर्मी की हत्या

संवाददाता–गोण्डा। जिले की कोतवाली मनकापुर क्षेत्र के भरहूं गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त रेलकर्मी पाटेश्वरी चौहान की हत्या संपत्ति के लालच में उनकी पौत्री ने ही कराई थी। मास्टरमाइंड पौत्री ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने दादा की हत्या की साजिश रची थी। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पौत्री समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की है जबकि एक अन्य आरोपी फरार है।

पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर ग्रंट गांव के रहने वाले पाटेश्वरी चौहान (80) वर्ष 2007 में रेलवे से सेवानिवृत्त होने के बाद मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भरहूं गांव में मकान बनवाकर अकेले ही रहते थे। 19 जुलाई की देर रात घर के बरामदे में सोते समय उनकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में उनकी पौत्र वधू सरस्वती देवी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी के मुताबिक हत्या की तफ्तीश के दौरान पता चला कि पाटेश्वरी की पौत्री रिया उर्फ रिंका चौहान हत्या से पहले 18 जुलाई को फ्लाइट से पुणे चली गई थी। संदेह होने पर रिंका से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि वह अपनी मां के संग मिलकर डेढ़ साल तक बाबा की सेवा करती रही। मगर बाबा पाटेश्वरी अपनी पूरी संपत्ति 17 बीघा जमीन व भरहूं गांव में स्थित मकान बड़ी पौत्र वधू सरस्वती के नाम करना चाहते थे, दो बीघा जमीन सरस्वती के नाम बैनामा भी कर चुके थे। शेष बची 15 बीघा जमीन व मकान भी सरस्वती के नाम करने की बात कह रहे थे। यही वजह रही कि उसने बाबा को रास्ते से हटाने की अपने दोस्त दिनेश चौहान के साथ मिलकर योजना बनाई।

मनकापुर के अंबरपुर के रहने वाले सलमान व बंदरहा गांव निवासी अखिलेश उपाध्याय जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। उन्हें अयोध्या में दुकान कराने का लालच देकर शामिल कर लिया। दोनों हत्या को अंजाम देने को तैयार हो गए तो किसी को शक न हो इसलिए वह 18 जुलाई को फ्लाइट से पुणे चली गई। 19 जुलाई की रात दिनेश बाइक से सलमान व अखिलेश को लेकर बाबा के घर पर छोड़कर चला गया। अखिलेश ने बाबा का पैर जकड़ लिया और सलमान ने गला घोंटने का प्रयास किया। मगर वह खुद को बचाने के लिए प्रयास करते रहे।

इसी दौरान पास में रखी कुल्हाड़ी से दोनों ने बाबा की गला काटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। एसपी ने बताया कि रिंका को हत्या की सूचना मिली तो वह वापस लौट आई और मर्च्युरी हाउस भी गई थी। एसपी के मुताबिक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। फरार हुए दिनेश चौहान की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।

कार्यालय ग्राम पंचायत हरिहरपुर वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 01–08–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मंजू) ग्राम प्रधान **(अंकुर कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत मुगरहा वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 31–07–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 01–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(दिनेश चन्द्र) ग्राम प्रधान **(कृष्णानन्द शाह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

नहाने गए व्यक्ति की नाले में डूबकर हुई मौत

संवाददाता–श्रावस्ती। एक व्यक्ति नाले में नहाने के लिए गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबकर लापता हो गया। स्थानीय गोताखोंरों ने नाले में तलाश शुरू की तो उसका शव बरामद हुआ।

इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमगढ़ा के मजरा पश्चिमी केवटन पुरवा निवासी तेजराम निषाद उर्फ तेजई (35) पुत्र झब्बू बुधवार दोपहर में नाले में नहाने गया था। वह सेमगढ़ा के पास बह रहे राप्ती नदी से निकले नाले में नहाने के लिए उतर गया। तेजराम को गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वह नहाते समय गहरे पानी में जाकर डूबने लगा। इस दौरान कुछ बच्चे नाले के पास मौजूद थे जो उसे डूबता हुआ देखा शोर मचाने लगे। लेकिन तब तक तेजराम पानी में डूबकर लापता हो गया। बच्चों का शोर सुनकर ग्रामीण भागते हुए नाले के पास पहुंचे। गांव के कुछ गोताखोर तलाश करने के लिए नाले में कूद गए। आधे घंटे तलाश करने के बाद गोताखोरों ने तेजराम का शव नाले से बरामद किया। शव बाहर निकाल कर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर इकौना थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना पर इकौना एसडीएम ओम प्रकाश, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। साथ ही लिखा पढ़ी की।

कार्यालय ग्राम पंचायत छनवतिया वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 31–07–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 01–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(साधना देवी) ग्राम प्रधान **(अंकुर कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 01–08–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रविन्द्र कुमार) ग्राम प्रधान **(विनोद कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

चोरी के सामान के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–गोण्डा। देहात कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ बुधवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है। देहात कोतवाल डीके श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर ग्राम सोतिया पक्की सड़क के पास दो लोग चोरी के सामान के साथ खड़े है। टीम ने आरोपी तिलक राम मिश्रा और सरवन मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी सामान बरामद कर लिया है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

मूलवाद सं0 364/2024

अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती महोदय जिला–बस्ती

पार्वती देवी आदि

बनाम

अशोक कुमार आदि

1. अशोक कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र महेश चन्द्र साकिन कटरा तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 23–08–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 23 माह 08 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत गौहनिया वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 31–07–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 01–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राममूरत) ग्राम प्रधान **(अमरनाथ गौतम)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत जगदीशपुर वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 31–07–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 01–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कमलावती) ग्राम प्रधान **(शिवशंकर)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरजप्ती वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 01–08–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 02–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मंजू) ग्राम प्रधान **(अरूणेश पाल)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

रामलला की सेवा में तैनात किए गए सेना से रिटायर 20 जवान, तीन को बनाया गया धर्मगुरू

संवाददाता–अयोध्या। राम मंदिर में विराजमान रामलला की सेवा में सेना के रिटायर्ड 20 जवानों की भर्ती की गई है। इनमें से तीन जवान ध र्मगुरु बनाए गए हैं। इनकी ड्यूटी राम मंदिर में ही गर्भगृह के बाहर लगायी गई है। इनको रामलला की पूजा–अर्चना के अलावा दर्शनार्थियों पर निगाह रखने की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मगुरु गर्भगृह के बाहर की आरती–पूजा के समय व्यवस्था में सहयोग के साथ घंटा–घड़ियाल बजाने व आरती दिखाने में मदद करेंगे। इसके अलावा शेष 17 सेवानिवृत्त सैनिकों को परिसर में सादी वर्दी में श्रद्धालुओं के साथ व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। यह सैनिक बुजुर्ग श्रद्धालुओं के मददगार बनेंगे और उन्हें किसी आकस्मिक परिस्थिति में तीर्थ यात्री केंद्र में स्थित अस्पताल पहुंचाने में भी सहयोग करेंगे। किसी समस्या के दौरान तत्काल प्रभाव से उनका समाध ान कराने के लिए तीर्थ क्षेत्र के पदाध िकारियों को रिपोर्ट भी भेजते हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत कोढ़ियापुर वि0ख0-सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 25–07 2024 से 31–07–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.30 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 01–08–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रामपाल) ग्राम प्रधान **(अरूणेश पाल)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /24.07.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय नगर पंचायत गनेशपुर बस्ती

निविदा सूचना

एतद्द्वारा समस्त ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गनेशपुर बस्ती में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित निर्माण कार्य कराया जाना है जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र बेवसाईट http//etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगी। बेवसाईट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि निविदा डालने की तिथि, समय कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा के विस्तृत नियम एवं शर्तो का उल्लेख किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि 10 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	नगर पंचायत गनेशपुर में के अन्तर्गत बुद्धनगर में ओमप्रकाश के घर से पक्की सड़क तक सड़क निर्माण कार्य।	27.75	2.75	3300	3 माह
2	नगर पंचायत गनेशपुर के अन्तर्गत बुद्धनगर में राजकुमार मोदनवाल के घर से पक्की सड़क तक सड़क निर्माण कार्य।	29.20	2.92	3500	3 माह
3	नगर पंचायत गनेशपुर के अन्तर्गत बुद्धनगर डिलयू के घर के पास पक्की सड़क से जगजीवन के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	30.80	3.08	3700	3 माह
4	नगर पंचायत गनेशपुर के अन्तर्गत कलकतवा गढवल पिच रोड से झुंगवा पुरवा तक सड़क निर्माण कार्य।	33.15	3.32	4000	3 माह
5	नगर पंचायत गनेशपुर के अन्तर्गत कलकतवा पिच रोड से संतराम चौहान के घर होते हुए बडकान उपाध्याय के मकान तक निर्माण कार्य।	29.10	2.91	3450	3 माह

ई–निविदा (टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल) निम्नलिखित विवरण के अनुसार बेवसाइड http://etender.up.nic.in पर आनलाईन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत गनेशपुर बस्ती से कार्यालय समय एवं दिवस पर प्रस्तुत की जा सकती है।

क्रमांक	बेवसाइट पर ई–निविदा प्रकाश की तिथि व समय	तिथि	समय
1	ई–निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	01–08–2024	13.00 बजे
2	ई–निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	01–08–2024	13.00 बजे
3	ई–निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	08–08–2024	13.00 बजे
4	ई–निविदा खोलने की तिथि/समय	09–08–2024	14.00 बजे

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गनेशपुर
बस्ती

अध्यक्ष
नगर पंचायत गनेशपुर
बस्ती

पत्रांकः– 109/न0प0गनेशपुर–2024–25 दिनांक– 24–07–2024

पोखरे में डूबे युवक की मौत

संवाददाता–गोरखपुर। बेलीपार कस्बा निवासी वीरेंद्र मद्धेशिया (55) की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। वह मंगलवार की शाम सात बजे पोखरे के पास खेत देखने गया था। अचानक पैर फिसलने से डूब गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वीरेंद्र के पुराने मकान के पास खेत है।

वह शाम को खेत देखने की बात कहकर घर से निकला। काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। लोगों ने उसकी तलाश करते हुए खेत की ओर पहुंचे। पोखरे के पास एक पैर की चप्पल मिली। इससे उसके पोखरे में डूबने की आशंका में पुलिस को सूचना दी। एसओ कुंवर गौरव सिंह और हल्का दरोगा सरोज कुमार मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से उसका शव पानी से निकलवाया। शव देखकर परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। वीरेंद्र के दो बेटों मुकेश और शिवम की शादी हो चुकी है। उनकी बेटी खुशबू की शादी नहीं हुई है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
प्रकीर्णवाद सं0 92/2022
मूलवाद सं0– 238/10
अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 बस्ती महोदय जिला–बस्ती

मचल सिंह मृतक
बनाम
सरकार उ0प्र0 आदि

1. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती 2. ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा प्रधान साकिन सिरपतपुर तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 05–09–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 05 माह 09 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
वाद सं0 154/2024
अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती महोदय जिला–बस्ती

आद्या प्रसाद
बनाम
अरूण कुमार आदि

1.अरूण कुमार उम्र 38 वर्ष पुत्र इन्द्रमणि 2. राजमणि उम्र 55 वर्ष पुत्र वासदेव 3. शांति देवी उम्र 65 वर्ष पत्नी देवमणि साकिनान मौजा सुनसुन तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 28–08–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 28 माह 08 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद संख्या 143/2020
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0 सिद्धार्थनगर

कृष्ण चन्द्र दूबे
बनाम
मेराज अहमद आदि

1. मेराज अहमद पुत्र अब्बास अली उम्र लगभग 23 वर्ष 2. सिराज अहमद पुत्र अब्बास अली उम्र लगभग 22 वर्ष साकिनान मौजा जमोहना तप्पा कोट परगना बांसी पश्चिम तहसील इटवा पोस्ट इटवा जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता बगला नं08 निकट गांव पंचायत कुटी हवेली पोण्डा गोवा 3. हरीश चन्द्र दूबे पुत्र बेनी माधव दूबे उम्र लगभग 80 वर्ष साकिन कपिया नकटी तप्पा हीर परगना बांसी पश्चिम तहसील इटवा पोस्ट इटवा जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता मिर्जापुर पचपेड़वा नकहा मार्ग रेलवे लाइन के पास वार्ड नं024 गोरखपुर 4. गिरीश चन्द्र दूबे पुत्र स्व0 बेनी माधव दूबे उम्र लगभग 78 वर्ष साकिन कपिया नकटी तप्पा हीर परगना बांसी पश्चिम तहसील इटवा पोस्ट इटवा जनपद सिद्धार्थनगर वर्तमान पता कमला निकेतन बेतिया हाता गोरखपुर

तारीख पेशी 28–08–2024

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **28–08–2024** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 18–07–2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com